न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2017-00290RAAJuContempt2017-13 Hanumansingh Vs Gopalsingh etc

हनुमानसिंह पुत्र श्री नारसिंह जाति राजपूत निवासी- सावंरिज, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

----- प्रार्थी

ब

ना

म

1. गोपालसिंह पुत्र श्री गिरधारीसिंह
2. खंगारसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह
3. सुआ कंवर बेवा पूनमसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- सांवरीज, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

-----अप्रार्थीगण.

अवमानना प्रार्थना पत्र बरखिलाफ
न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक
16 मार्च 2017 अपील संख्या 18/2017
अनवान गोपालसिंह बनाम बच्चनसिंह
इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री देवीलाल आर व्यास, अधिवक्ता-प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 26 दिसंबर 2022

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 18/2017 में पारित आदेश दिनांक 16 मार्च 2017 की अवमानना किये जाने के कथनों के साथ अवमानना प्रार्थना पत्र अदालत हाजा के दिनांक 06 जून 2017 को प्रस्तुत किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण पर सम्यक तामील के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अवमानना प्रार्थना पत्र पर सीधे ही प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता-प्रार्थीगण ने तथ्यों एवं प्रार्थना-पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण एवं अन्य अपीलांट्स की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष अपील श्रीमान् सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 20/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 के विरुद्ध पेश की, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया तथा वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये। अप्रार्थीगण को उक्त आदेश की बखूबी जानकारी रही, क्योंकि उक्त अपील अप्रार्थीगण व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई। ऐसे में अप्रार्थीगण उक्त आदेश की हुबहू पालना करने एवं मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विधिक रूप से पाबंद है। उक्त आदेश की बखूबी जानकारी होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 01.06.2017 को ग्राम पृथ्वीराजसिंह नगर तहसील फलोदी के खसरा नं. 464, 465 व 460 की प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी कर उन्हें जबरन बेदखल करने का प्रयास किया तथा मौके पर टांके का निर्माण किया तथा खण्डे व अन्य निर्माण सामग्री डलवाई तथा खसरा नं. 464 की भूमि में दो मकानो का निर्माण कार्य तक शुरु कर दिया, जिसका कि उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा उन्हे न्यायालय हाजा के उक्त स्थगन आदेश की प्रति दिखाते हुए समझाईश कर उन्हे ऐसा नहीं करने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि न्यायालय के ऐसे कई स्टे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ऑर्डर होते रहते है, हम इसकीह परवाह नहीं करते है। स्थगन आदेश के होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाकर स्थगन आदेश की अवहेलना की है, अप्रार्थीगण का उपरोक्त कृत्य माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये गये स्थगन आदेश की अवहेलना की तारीफ में आता है। अप्रार्थी जानबूझकर उपरोक्त आदेश की पालना नहीं करना चाहता है। इस प्रकार अप्रार्थी उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की अवज्ञा का दोषी है। अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद मौके पर निर्माण कार्य किया जाकर मौके की स्थिति में परिवर्तन कर लिया है तथा माननीय न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है। अंत में प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मान्यवर न्यायालय के आदेश दिनांक 16 मार्च 2017 की अप्रार्थीगण द्वारा खुलमखुला अवहेलना, उपेक्षा व अवमानना करते हुए उक्त प्रकार से मौके की स्थिति में परिवर्तन करने का कृत्य कर उसका मखौल उड़ाया, जिसके लिए अप्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना का दोषी करार देते हुए सख्त सजा से दंडित किया जावे तथा मौके की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश फरमावे। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि मामले में इस आशय का आदेश फरमावे कि अप्रार्थीगण द्वारा किया गया निर्माण कार्य विभाजन प्रस्ताव तैयारी के समय नियम 18 से 21 की पालना में आड़े नही आये।

वकील प्रार्थी की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा जान-बूझकर न्यायालय हाजा के आदेश क जानकारी होते हुए भी विवादग्रस्त भूमि के मौके की वास्तविक स्थिति में बदलाव टांका निर्माण कर तथा मौके पर निर्माण सामग्री डालकर किया तथा आदेश की अवज्ञा किये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा कौनसी निर्माण सामग्री डालकर मौके की स्थिति में परिवर्तन किया गया तथा उक्त सामग्री किस तिथि को डाली गयी। इन परस्थितियों में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश 16 मार्च 2017 की अवमानना की जाना प्रार्थीगण द्वारा साबित नहीं किये जाने के फलस्वरूप अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव तैयारी के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में हेतु अलग से निर्देश की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर